न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टीटपुरी बनाम जगमोहन S/o रामधन जाटव खिरहेडा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 62/2018

निर्णय दिनॉंक :- 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खिरहेडा
की आ०ख०न० 1429 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन गैरमु० मरघट में से 0.01
रकबे पर श्री जगमोहन S/o रामधन जाटव ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
विरोडा जलाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टीटपुरी द्वारा दिनॉंक
14/2/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद
भू०अ०निरी० टीटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी जगमोहन S/o रामधन जाटव निवासी खिरहेडा को भू
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
का पुत्र उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ०ख०न० 1429 रकबा 0.20 में से 0.01 हैक्टर
रकबे किस्म गैरमु० मरघट है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा अतिक्रमी को अतिक्रमित
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise का
50 गुणा 14/- चौदह रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एव बेदखली हेतु हल्का पटवारी टीटपुरी भू०अ०निरी० टीटपुरी
को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज०)